DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

1 October, 2024

पूसा-2090

संदर्भ: *हाल ही में, खेतों में आग लगने की समस्या से निपटने के लिए सरकार चावल की नई किस्म पूसा-2090 पर विचार कर रही है।*

अवलोकन:

- सरकार पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगने की घटना से निपटने के लिए चावल की विभिन्न किस्मों पर विचार कर रही है।
- पूसा-2090 की कटाई अक्टूबर के प्रारम्भ से मध्य तक की जा सकती है, जिससे गेहूं की बुवाई से पहले पराली जलाने की आवश्यकता कम हो जाती है।

पूसा-44 क्या है?

- **विकास :** 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाया गया।
- **परिपक्वता :** परिपक्व होने में 155-160 दिन लगते हैं।
- **उपज :** प्रति एकड़ 35-36 क्विंटल की उच्च उपज , कभी-कभी 40 क्विंटल तक पहुंच जाती है।
- **आर्थिक लाभ :** अतिरिक्त पैदावार से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,320 रुपये प्रति क्विंटल पर 9,280-11,600 रुपये की आय होती है।
- **पर्यावरणीय लागत :** फसल की लंबी अवधि के कारण फसल देर से तैयार होती है, जिससे किसान खेत की शीघ्र तैयारी के लिए पराली जलाने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है।
- वर्ष 2000 से इसकी व्यापक खेती की जा रही है तथा इसकी उच्च उपज के कारण इसे पसंद किया जाता है।

पूसा-2090 क्या है?

- **विकास :** पूसा-44 के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में आईएआरआई द्वारा विकसित एक नवप्रजनित (newly bred) कम अवधि वाली किस्म है।
- **परिपक्वता :** 120-125 दिनों में परिपक्व होती है , PR-126 के समान है।
- **उपज :** प्रति एकड़ 34-35 क्विंटल उपज , जो पूसा-44 की उपज के करीब है।

पूसा-2090 के लाभ

- **उच्च शाखा उत्पादन :** प्रत्येक पुष्पगुच्छ में शाखा और दानों की उच्च संख्या बनाए रखता है, जो पूसा-44 के बराबर है।
- **मजबूत तना :** प्रतिकूल मौसम में गिरने की संभावना कम होती है।
- **जल दक्षता :** पूसा-44 की तुलना में 5-6 सिंचाई कम की आवश्यकता होती है, जबकि पूसा-44 को 29-30 सिंचाई की आवश्यकता होती है।
- **फसल कटाई का समय :** इससे फसल की कटाई पहले हो जाती है, जिससे अगली फसल के लिए समय पर तैयारी करने में सुविधा होती है।

प्रतिस्थापन के रूप में व्यवहार्यता

- **उपज की तुलना :** पूसा-2090, पूसा-44 की तुलना में अधिक उपज प्रदान करता है, जिससे यह एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।
- **गुणवत्ता पर विचार :** व्यापक स्वीकृति के लिए, पूसा-2090 को पूसा-44 की गुणवत्ता से मेल खाना चाहिए, जिसे मिल के मालिक अपनी उच्च चावल रिकवरी दर के लिए पसंद करते हैं।
- **वर्तमान स्थिति :** सरकारी प्रतिबंध के बावजूद, किसान संरक्षित बीजों का उपयोग करके पूसा-44 की खेती जारी रख रहे हैं, जिसके तहत 2023 तक पंजाब के गैर-बासमती धान क्षेत्र का 14.8% हिस्सा कवर किया जाएगा।

साइबर गुलामी रिपोर्ट

संदर्भ: *'साइबर गुलामी' की हालिया रिपोर्टों के बीच, दूरसंचार मंत्रालय 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटने की योजना बना रहा है।*

अवलोकन:

- हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में 30,000 से अधिक भारतीय 'साइबर गुलामी' में फंसे हुए हैं।
- 5,000 से अधिक भारतीयों के जबरन साइबर धोखाधड़ी में फंसे होने का संदेह है।
- छह महीनों में भारतीयों को कम से कम 500 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।

रिपोर्ट से साइबर गुलामी पर मुख्य बिंदु

- **यात्रा डेटा :** जनवरी 2022 से मई 2024 तक, 73,138 भारतीयों ने आगंतुक वीजा पर कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम की यात्रा की।
- **वर्तमान स्थिति :** इनमें से 29,466 भारतीय अभी भी लापता है या संभवतः फंसे हुए हैं।
- **साइबर गुलामी की परिभाषा :**
  - ✓ यह उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिन्हें नौकरी के वादे से लुभाया जाता है, लेकिन उन्हें अवैध ऑनलाइन कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है।
  - ✓ पीड़ितों के आगमन पर अक्सर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं।
- **रहने की स्थिति :**
  - ✓ व्यक्तियों को सीमित सुविधाओं में रखा जाता है, उन्हें न्यूनतम स्वतंत्रता दी जाती है तथा उनकी आय पर रोक लगा दी जाती है।
  - ✓ हिंसा की धमकियों या प्राधिकारियों को सूचना देने के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखा जाता है।
- **धोखाधड़ी के प्रकार :** पीड़ित विभिन्न डिजिटल घोटालों में शामिल होते हैं, जिनमें निवेश धोखाधड़ी और ऑनलाइन डेटिंग घोटाले शामिल हैं।
- **वित्तीय प्रभाव :** रिपोर्टों से पता चलता है कि इन घोटालों के कारण भारत में पीड़ितों को लगभग 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
- **धोखाधड़ी की रणनीति :** पीड़ित लोग धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं में निवेश को लुभाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया खाते बनाते हैं, जिससे अक्सर वित्तीय नुकसान होता है।

दूरसंचार उपाय

- **मोबाइल कनेक्शनों को समाप्त करना :** दूरसंचार विभाग (डीओटी) जाली दस्तावेजों या साइबर अपराध से जुड़े 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों को समाप्त करने की योजना बना रहा है।
- **हैंडसेट ब्लॉक करना :** कनेक्शन काटने के साथ-साथ 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
- **केवाईसी कार्यान्वयन :** दूरसंचार विभाग दुरुपयोग को रोकने के लिए सिम कार्ड खरीद के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) उपायों को बढ़ा रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कॉल निगरानी :** मई में, दूरसंचार ऑपरेटरों को आने वाली फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था; वर्तमान में 35% कॉल ड्रॉप हो चुकी हैं।
- **डेटा संग्रहण :** दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को धोखाधड़ी की पहचान करने में सहायता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में रोमिंग में रह रहे भारतीय मोबाइल नंबरों पर साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- **सिम कार्ड बिक्री :** पूरे भारत में सिम कार्ड बेचने वाले 1.4 लाख से अधिक बिक्री केन्द्र एजेंट संभावित घोटाले में संलिप्तता के लिए जांच के दायरे में हैं।
- **साइबर अपराधों में वृद्धि :** भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के विश्लेषण से पता चला है कि भारतीयों को लक्षित करने वाले 45% साइबर अपराध दक्षिण पूर्व एशिया से उत्पन्न हुए हैं।

भारत के हाथी

संदर्भ: *हाल के अध्ययन में संपूर्ण जीनोम अनुक्रमों का उपयोग करके भारत भर में पांच आनुवंशिक रूप से अलग हाथी आबादी की पहचान की गई है।*

अवलोकन:

- एनसीबीएस और आईआईएससी के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में पाया गया कि भारतीय हाथी दक्षिण की ओर पलायन कर गए, जिससे उनकी आनुवंशिक विविधता नष्ट हो गई।
- अध्ययन में बंदी और जंगली हाथियों के रक्त के नमूनों से सम्पूर्ण जीनोम अनुक्रमों का विश्लेषण किया गया है तथा भारत भर में पांच अलग-अलग आबादियों की पहचान की गई है।

भारत के हाथियों के बारे में

- भारतीय हाथी **(एलिफस मैक्सिमस इंडिकस)** एशियाई हाथी की तीन मान्यता प्राप्त उप-प्रजातियों में से एक है , जो मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है।
- **उप-प्रजातियाँ :** इसमें भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकाई हाथी शामिल हैं।
- **निवास स्थान :** दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 देशों के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है।
- **जनसंख्या :** भारत में विश्व के 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथी हैं, 2017 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 29,964 दर्ज की गई थी।
- यह प्रमुख प्रजाति और प्राकृतिक विरासत पशु माना जाता है।
- भारत में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है, अनुमानतः 30,000 से अधिक।
- देश में हाथियों की सबसे अधिक आबादी कर्नाटक में है।
- **अभ्यारण्य :** 14 राज्यों में लगभग 76,508 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 31 हाथी अभ्यारण्यों स्थापित किये गए है।

संरक्षण की स्थिति

- **प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (सीएमएस) :** परिशिष्ट I
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 :** अनुसूची I
- **आईयूसीएन लाल सूची :**
  - ✓ **एशियाई हाथी :** लुप्तप्राय।
  - ✓ **अफ्रीकी वन हाथी :** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
  - ✓ **अफ्रीकी सवाना हाथी :** लुप्तप्राय.

संरक्षण पहल

- **राइट ऑफ पैसेज परियोजना:** भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई) के नेतृत्व में, यह पहल हाथी गलियारों की सुरक्षा और पुनर्वास करती है, साथ ही मानव-हाथी संघर्षों को संबोधित करती है तथा संरक्षण हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देती है।
- **कानूनी संरक्षण:** राज्य सरकारों को गलियारों को राज्य हाथी गलियारा के रूप में नामित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आवास विखंडन को रोकने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान किया जा सके।
- **सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय समुदाय जागरूकता कार्यक्रमों और निगरानी प्रयासों, जैसे ग्रीन कॉरिडोर चैंपियंस के माध्यम से कॉरिडोर संरक्षण में शामिल होते हैं।
- **बुनियादी ढांचे की योजना :** हाथियों के आवासों में भविष्य के विकास में संघर्षों को कम करने के लिए इन गलियारों पर विचार किया जाना चाहिए, जिसके लिए हितधारकों के साथ सहयोगात्मक योजना की आवश्यकता होगी।
- **निगरानी और अनुसंधान:** हाथियों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी, उनके पैटर्न को समझने और संरक्षण या पुनरुद्धार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **गज यात्रा :** यह हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- **प्रोजेक्ट एलीफेंट:** यह हाथियों के संरक्षण के लिए एक सरकारी पहल है।

प्रोजेक्ट एलीफेंट अवलोकन

- **शुभारंभ :** फरवरी 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया।
- **उद्देश्य :** वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ जंगली एशियाई हाथियों की आबादी के प्रबंधन में राज्यों को समर्थन प्रदान करना।

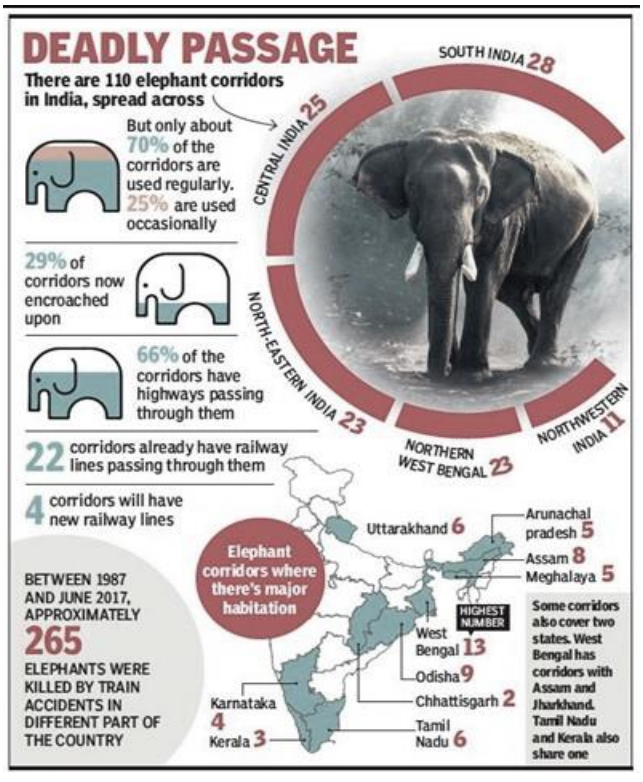

- **हाथी गलियारे:** ये ज़मीन की संकरी पट्टियाँ हैं जो हाथियों को बड़े आवासों के बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करती हैं। ये यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि हाथी मानवीय व्यवधान के बिना परिदृश्यों को पार कर सकें।

हाथी गलियारों का राज्यवार वितरण

- **पश्चिम बंगाल :** 26 कॉरिडोर के साथ अग्रणी , जो कुल क्षेत्रफल का 17% है।

- **पूर्व मध्य भारत :** 52 गलियारों के साथ कुल क्षेत्रफल का 35% का योगदान देता है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र :** 48 गलियारों के साथ कुल क्षेत्रफल का 32% हिस्सेदारी रखता है।
- **दक्षिणी भारत :** 32 गलियारों के साथ कुल क्षेत्रफल का 21% हिस्सा।
- **उत्तरी भारत :** 18 गलियारों के साथ सबसे कम कुल क्षेत्रफल का 12% है।

➢ **प्रोजेक्ट एलीफेंट के उद्देश्य**

- **संरक्षण योजना :** वैज्ञानिक संरक्षण रणनीति विकसित करना।
- **अवैध व्यापार का मुकाबला करना :** हाथी दाँतों के अवैध शिकार और व्यापार पर अंकुश लगाना।
- **मृत्यु को रोकना :** हाथियों की मृत्यु के अप्राकृतिक कारणों को समाप्त करना।
- **आवासों को पुन:** स्थापित करना : प्राकृतिक आवासों और प्रवासी मार्गों को पुनर्जीवित करना।
- **संघर्ष को कम करना :** साझा क्षेत्रों में मानव-हाथी संघर्ष को न्यूनतम करना।

➢ **हाथियों को खतरा**

- **आवास क्षति :** बस्तियों के विस्तार से आवास विखंडन होता है।
- **मानव-हाथी संघर्ष :** हाथियों द्वारा फसलों पर हमला करने से दोनों पक्षों में संघर्ष और हताहत होते हैं।
- **अवैध शिकार :** हाथी दांत और शरीर के अंगों को निशाना बनाने से जनसंख्या में व्यवधान उत्पन्न होता है।
- **आकस्मिक मृत्यु :** रेलगाड़ियों से टक्कर, बिजली का झटका और अन्य खतरे जोखिम पैदा करते हैं।

➢ **नव गतिविधि**

- **नए नियम :** बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया गया है, जिससे हाथियों के स्थानांतरण की शर्तें आसान हो गई हैं।
- **विनियमन :** बंदी हाथियों को उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण विनियमित किया जाता है; वन्यजीव संरक्षण विनियमों के तहत शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थानांतरण की अनुमति दी जाती है।

➢ **वैश्विक संरक्षण :**

- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (एमआईकेई) कार्यक्रम।
- विश्व हाथी दिवस : हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश भर में हाशिए पर पड़े लोगों को सहायता प्रदान करने और कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में:

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एक संगठन है, जिसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है।
- यह आर्थिक रूप से या अन्यथा वंचित लोगों को दीवानी और आपराधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करता है।
- इन सेवाओं में न्यायालय में प्रतिनिधित्व, शुल्क का भुगतान और कानूनी दस्तावेज़ तैयार करना शामिल हो सकता है।
- यह लोक अदालतों का आयोजन करता है, कानूनी जागरूकता फैलाता है, सामाजिक न्याय मुकदमेबाजी करता है और कानूनी सेवा कार्यक्रम तैयार करता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश NALSA के मुख्य संरक्षक हैं, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
- अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
- इसका कार्यालय नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर में स्थित है।

काजिंद-2024

हाल ही में, उत्तराखंड के औली में सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में काजिंद-2024 की शुरुआत हुई।

काजिंद-2024 के बारे में:

- काजिंद-2024 भारत-कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है।
- यह अभ्यास 30 सितंबर, 2024 को शुरू हुआ और 13 अक्टूबर, 2024 तक जारी रहेगा।
- भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व 120 कर्मियों द्वारा किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट के लोग शामिल हैं, साथ ही अन्य शाखाओं और भारतीय वायु सेना के अतिरिक्त प्रतिभागी भी शामिल हैं।
- कजाख दल में कजाकिस्तान भूमि सेना और एयरबोर्न असॉल्ट टूपर्स के कर्मी शामिल हैं।
- काजिंद-2024 का मुख्य उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और आतंकवाद विरोधी, शांति अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करना है।
- यह अभ्यास 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से हर साल आयोजित किया जाता रहा है, जो दोनों देशों के लिए सामरिक ज्ञान और समन्वय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- अभ्यास का पिछला संस्करण 30 अक्टूबर से 11 नवंबर, 2023 तक कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

दादा साहब फाल्के पुरस्कार

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।

दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में:

- दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था, जिसकी पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी थीं।
- इस पुरस्कार का नाम भारतीय सिनेमा के अग्रणी धुंडिराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1913 में देश की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था।
- यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फिल्मी हस्तियों को दिया जाता है।
- पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल, एक प्रमाण पत्र, एक सिल्क रोल और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।
- कुछ उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में सत्यजीत रे, राज कपूर, लता मंगेशकर, गुलज़ार और रजनीकांत शामिल हैं।
- भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

हाल ही में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के बारे में:

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित एक स्वायत्त विनियामक निकाय है।
- यह दूरसंचार सेवाओं, शुल्कों को नियंत्रित करता है और दूरसंचार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है।
- इसमें एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- वे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और तीन साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक का कार्यकाल पूरा करते हैं।
- इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश, सिफारिशें और विनियम जारी करने की शक्ति है।
- यह उपभोक्ता हितों की रक्षा करता है और दूरसंचार सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करता है।
- यह दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
- इसमें नेट न्यूट्रैलिटी, स्पेक्ट्रम नीलामी और अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को नियंत्रित करने के उपाय शामिल हैं।
- दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) की स्थापना के लिए 2000 में ट्राई अधिनियम में संशोधन किया गया था।

POINTS TO PONDER

- उस इच्छामृत्यु उपकरण का नाम क्या है जिसमें 3D-मुद्रित वियोज्य कैप्सूल और तरल नाइट्रोजन होता है? – **सार्को फली**
- यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) का मुख्यालय कहां स्थित है? – **जिनेवा, स्विटजरलैंड।**
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) कब लागू किया गया? – **2002**
- भारत में पौमई जनजाति मुख्य रूप से कहां स्थित है? – **मणिपुर**
- भारत में बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी अधिसूचित बासमती किस्में मान्यता प्राप्त हैं? – **43**